भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2577**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

एस॰ ई॰ जेड॰ की भूमि का उपयोग

2577. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उस भूमि का वापिस अर्जन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में आवंटित किया गया था लेकिन जिसका उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रों के रूप में आवंटित की गई भूमि के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि सं.18 के अनुसार 'भूमि' राज्य का विषय है। अनुमोदन बोर्ड (बीओए) समय-समय पर यथासंशोधित एसईजेड अधिनियम, 2005 और नियम, 2006 में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित करता है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा एसईजेड की स्थापना की संस्तुति के पश्चात ही अनुमोदन दिया जाता है। अनुमोदन के पश्चात, विकासकर्ताओं द्वारा एसईजेड परियोजना के कार्यान्वयन की विकास आयुक्तों द्वारा एसईजेड अधिनियम और नियमों के अनुसार नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। इस निगरानी के आधार पर, एसईजेड अधिनियम/नियमों के उल्लंघन के मामले में, विकासकर्ताओं को हुए किसी प्रकार के वित्तीय लाभ की वसूली के साथ-साथ उल्लंघन के मामले में उन्हें दण्ड देने के लिए कार्रवाई शुरू की जाती है। संबंधित विकास आयुक्त की संस्तुति और संबंधित राज्य सरकार के साथ-साथ राजस्व विभाग से अनापत्ति मिलने के आधार पर अनधिसूचन किया जाता है। इसके अलावा, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11(9) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एसईजेड में भूमि की बिक्री की अनुमति नहीं हैं।

*****